मैं कौन हूं? क्या मेरा पेशा वकालत है? अगर हां तो क्या मुझे
सिर्फ किताबों में लिखे कानून तक ही सीमित रहना चाहिए?
क्या मुझे अपने आसपास फैली अन्याय की स्थितियों और कानून के
लागू न होने की कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए?
आखिर मेरी भूमिका क्या है?

मुझे सिर्फ कानून का गुणगान करना है या फिर उसकी कमियों को
भी देखना है? क्या मुझे उन कमज़ोर और गरीब लोगों की मदद
करनी चाहिए, जो कानून तक पहुंच नहीं पाते हैं,
या उनकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए

आखिर मेरी जगह है कहां? कोर्ट के उन कमरों में जहां काला कोट
पहने वकील कानून पर बहस करते नज़र आते हैं और जिन्हें आसपास
लोगों पर होते अत्याचार और अन्याय नज़र ही नहीं आते हैं।
या उन खेतों, झोंपड़ियों, कारखानों, खदानों और जंगलों में रहने व
काम करने वालों के बीच है, जहां लोग हर रोज़ अन्यायों से जूझते
नज़र आते हैं और जहां कानूनों का पालन नहीं होता है।

गिरीश पटेल

पी.आई.एल.लायर का डिलेमा
(एक लोकाहित मुक़दमा करने वाले वकील का धर्मसंकट)
लायर्स कलेक्टिव, जुलाई 1988

विषय सूची

भूमिका

I विकास के वर्तमान ढांचे के मानदंडों को चुनौती 1

II कानून की भूमिका 5

III वकीलों की भूमिका: वैकल्पिक वकालत के नए रास्तों की खोज 11

IV विभिन्न प्रकार के कानूनी संसाधन 14

क) कानूनी साक्षरता और शिक्षा 15

ख) मुक़दमेबाज़ी 17

ग) शोध और दस्तावेज़ीकरण 22

घ) झगड़े निबटाने के वैकल्पिक तंत्र 23

ङ) हिमायती वकालत 28

V निष्कर्ष 31

नोटः इस दस्तावेज़ के रेखाचित्र नन्दिता हकसर और अंजू सिंह की पुस्तक ''डीमिस्टीफिकेशन आफॅ लॉ फॉर विमेन'' (महिलाओं के लिये कानून को सरल बनाना), लेन्सर प्रेस (1986) से लिये गये हैं। पी. एल. डी. उन रेखाचित्रों के प्रयोग किये जाने देने की आज्ञा के लिये लेन्सर प्रेस का आभारी है।

आभार

मैं मधू मेहरा की विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने न केवल अपने विचारों से इस दस्तावेज़ की पहल करने में सहायता की वरन अपनी खोजपरक टिप्पणियों से मुझे धैर्यपूर्वक लगातार प्रेरणा व प्रोत्साहन देती रहीं। मैं डी. जे. रवीन्द्रन और एस. मुरलीधरन को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इसका मसौदा तैयार करने मे, उसे बेहतर बनाने में अपना समय देकर आलोचना व समर्थन दोनों से ही मदद की। पी. एल. डी. पुस्तकालय व आफिस संसाधनों के सहर्ष इस्तेमाल के लिये कल्पलता दत्ता के सहयोग व धैर्य की भी सराहना करना चाहूंगी।

मैं पी. एल. डी. को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने वैकल्पिक अदालत के मेरे प्रयत्नों व प्रयोगों को बराबर समर्थन व सहयोग दिया।

इस दस्तावेज़ के तैयार होने में मेरे अनेक वर्षों के मित्रों व सहयोगियों के साथ चर्चा, बहस व विचारों के आदान-प्रदान का बहुत बड़ा योगदान है। सबके नाम देना यहां संभव नहीं है किन्तु सी. वी. सुब्बा राव को विशेष श्रद्धाजंलि अर्पित करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे मन पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा और इस संसार से विदा लेने के अनेक वर्षों बाद आज भी मेरे प्रेरणा-स्रोत बने हुये हैं।

मैं अपने परिवार-जनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस दस्तावेज़ तैयार होने के दौरान मेरे अनावश्यक चिड़चिड़ेपन को धैर्यपूर्वक सहन किया।

पालमपुर
मई, 2001